रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 8, 1995/फाल्गुन 17, 1916
No. 133] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 8, 1995/PHALGUNA 17, 1916

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1995

का.आ. 142(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) (दो सौ अट्ठाइसवां संशोधन) नियम, 1995 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में,—

(1) प्रथम अनुसूची में—

(क) "नागरिक पूर्ति, उपभोक्त मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन निम्नलिखित उप-शीर्षक जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

"(1) नागरिक पूर्ति विभाग;

(2) उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग।

(ख) "खाद्य मंत्रालय" शीर्षक के अधीन निम्नलिखित उप-शीर्षक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

(1) खाद्य विभाग

(2) खाद्य प्रपण और वितरण विभाग;

(ग) "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "(ii) परिवार कल्याण विभाग" उप-शीर्षक के बाद निम्नलिखित उप-शीर्षक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग";

(घ) "उद्योग मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, निम्नलिखित उप-शीर्षक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(v) औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग";

(ङ) "ग्रामीण विकास मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—"ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय";

(च) इस प्रकार प्रतिस्थापित "ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय" शीर्षक के अधीन "(ii) परती भूमि विकास विभाग" उप-शीर्षक के बाद निम्नलिखित उपशीर्षक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) ग्रामीण रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग",

(छ) "शहरी विकास मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

(ज) इस प्रकार प्रतिस्थापित "शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय" शीर्षक के अधीन निम्नलिखित उपशीर्षक जोड़े जाएंगे, अर्थात् :

"(i) शहरी विकास विभाग

(ii) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग";

(2) दूसरी अनुसूची में,—

(क) "नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन 1 से 18 तक की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"क नागरिक पूर्ति विभाग

1. आंतरिक व्यापार
2. अन्तरराज्यिक व्यापार स्पिरिटयुक्त निमिति (अन्तरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955 (1955 का 39)
3. वायदा बाजार का नियंत्रण अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74)
4. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) ऐसी आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय, कीमतें और वितरण जो विनिर्दिष्टतः किसी अन्य मंत्रालय/विभाग द्वारा व्यवहृत नहीं हैं।
5. चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का 7) इसके अधीन निरोध के अध्यधीन व्यक्ति।
6. पैक की हुई वस्तुओं का विनियमन।
7. कानूनी माप विद्या में प्रशिक्षण।
8. वे उद्योग जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोक हित में समीचीन है, जहां तक उनका संबंध वनस्पति घी, तिलहन, वनस्पति तेलों; खली और वसा से है।
9. संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1952 (1952 का 12)
10. बाट और माप मानक। बाट और माप-मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60)
11. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986, (1986 का 63)
12. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित सभी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन जिसमें फारवर्ड मार्केट्स कमीशन, बंबई भी सम्मिलित है।

ख—उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग :

1. उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं।
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
3. कीमतों का परिवीक्षण और आवश्यक वस्तुओं की उपलभ्यता।
4. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68)।
5. वस्पत घी, तिलहन, वनस्पति तेलों, खली और वसा का अंतर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य, उनका मूल्य नियंत्रण पूर्ति और वितरण।
6. वनस्पति निदेशालय, वनस्पति तेल तथा वसा,";

(ख) "वित्त मंत्रालय" शीर्षक के अधीन "क. आर्थिक कार्य विभाग" उपशीर्षक के अंतर्गत प्रविष्टि 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"5. विदेशी तथा अनिवासी भारतीय विनिधान (औद्योगिक तथा परियोजनाओं के प्रत्यक्ष विदेशी तथा अनिवासी भारतीय विनिधान को छोड़कर)";

(ग) "खाद्य मंत्रालय" शीर्षक के अधीन प्रविष्टि 1 से 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :—

क. खाद्य विभाग

1. निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 के अंतर्गत हैं :—

1. खाद्य से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों तथा अन्य निकायों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद्, अंतर्राष्ट्रीय शर्करा परिषद्, विश्व खाद्य परिषद्, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान में भाग लेना और वहां पर किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन।

2. विदेशों से संधि और करार करना और खाद्यान्नों तथा अन्य खाद्य पदार्थों में व्यापार और वाणिज्य के संबंध में विदेशों से की गई संधियों, करारों और अभिसमयों को कार्यान्वित करना।

3. खाद्यान्नों के जिनके अंतर्गत शर्करा है, भंडारकरण के लिए गोदामों को भाड़े पर लेना और उनका अर्जन, खाद्यान्न गोदाम बनाने के लिए भूमि पट्टे पर लेना या उसका अर्जन।

4. वे उद्योग जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, जहां तक उनका संबंध शर्करा उद्योग (जिनके अंतर्गत गुड़ और खांडसारी आते हैं) से है।

II भाग—I और खाद्य प्रशासन में उल्लिखित विषयों में जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित हैं।

III. साधारण और परिणामिक :

5. निम्नलिखित कार्यालयों से संबंद्ध मामले :—

(i) खाद्य विभाग के अधीस्थ कार्यालय।

(ii) शर्करा निदेशालय, नई दिल्ली।

(iii) राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर।

6. निम्नलिखित पब्लिक सैक्टर संगठनों से संबंधित मामले :
केन्द्रीय भांडागार निगम।

7. शर्करा उद्योग विकास परिषद्, नई दिल्ली से संबंधित मामले ।

8. इस विभाग को आबंटित विषयों से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध।

9. इस विभाग को आबंटित विषयों में से किसी के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़े।

10. इस विभाग को आबंटित विषयों में से किसी के बाबत फीसें, उन फीसों के सिवाय जो न्यायालय में ली जाती हैं।

11. (क) समनुयंगी और संरक्षित खाद्य पदार्थों का विकास और उन्हें लोकप्रिय बनाना।

(ख) पोषण का विस्तारण।

(ख) खाद्य प्रपण और वितरण

I. निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-I के अंतर्गत हैं :—

1 नागरिक आवश्यकताओं के लिए खाद्य पदार्थों का क्रय और उनका निपटान तथा सैनिक आवश्यकताओं के लिये चीनी, चावल और गेहूं का क्रय भी।

2. खाद्यान्न तथा अन्य खाद्य पदार्थों की बाबत, जिनके अंतर्गत शर्करा है, अन्तर राज्यिक व्यापार और वाणिज्य।

II. निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-III के अंतर्गत हैं (केवल विधायन की बाबत) :—

3. खाद्यान्नों का व्यापार और वाणिज्य तथा उनका प्रदाय और वितरण।

4. शर्करा में और खाद्यान्नों से भिन्न खाद्य पदार्थों में व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, प्रदाय और वितरण।

5. खाद्यान्नों, खाद्य पदार्थों और शर्करा का कीमत नियंत्रण।

III. साधारण और परिणामिक :—

6. निम्नलिखित पब्लिक सेक्टर संगठनों से संबंधित मामले :

भारतीय खाद्य निगम।

(घ) "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन—

(i) "क-स्वास्थ्य विभाग" उपशीर्षक के अधीन प्रविष्टि 1, 33, 39, 41, 43, 48, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 69, 74, 75 तथा 76 की मद (v) तथा मद (vi) की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ii) "ख-परिवार कल्याण विभाग" उप-शीर्षक और उसके अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित उप-शीर्षक तथा प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"(ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग"

I. संघ कारबार

1. अनुसंधान के लिए अथवा भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा में विशेष अध्ययन के संप्रवर्तन के लिए संघ अभिकरण तथा संस्थान, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले भी हैं :—

(i) भारतीय औषधि भेषज प्रयोगशाला।

(ii) होम्योपैथिक भेषज प्रयोगशाला।

II. कारबार की सूची, जिसमें केन्द्रीय सरकार केवल संघ के लिए विधायी हैसियत में और सभी संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विधायी और कार्यपालक हैसियत, दोनों में व्यवहार करेगी।

2. होम्योपैथी।

3. देशी चिकित्सा पद्धति।

III. प्रकीर्ण कारबार :—

4. भारतीय औषध केन्द्रीय परिषद्।

5. केन्द्रीय होम्योपथी परिषद्।

6. आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड।

7. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान।

8. राष्ट्रीय होम्योपथी संस्थान।

9. केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद्।

10. केन्द्रीय होम्योपथी अनुसंधान परिषद्।

11. केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद्।

12. केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्।

13. चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान।

14. स्तकोत्तर अध्यापन और अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय।

15. स्नातकोत्तर आयुर्वेद केन्द्र, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय।

16. केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान।

17. राष्ट्रीय यूनानी संस्थान।

18. इंडियन मेडीसिन फार्मास्युटिकल कारपोरेशन लिमिटेड।

(झ) "उद्योग मन्त्रालय" शीर्षक के अधीन,—

(I) "क. औद्योगिक विकास विभाग" उप-शीर्षक के अंतर्गत की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :—

I. औद्योगिक नीति

1. औद्योगिक प्रबंध।

2. उद्योगों में उत्पादकता।

II. औद्योगिक सहकारिता

3. सहकारी चीनी कारखानों के सिवाय औद्योगिक सैक्टर में सहकारिता।

4. भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) और तद्धीन बनाए गए विनियमों का प्रशासन केन्द्रीय बायलर बोर्ड।

5. विस्फोटक-विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) और तद्धीन बनाए गए नियमों का प्रशासन, किंतु विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6) का नहीं।

6. ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 (1952 का 20)।

III. उद्योग और औद्योगिक तथा तकनीकी विकास।

7. आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन, पूना।

8. राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद्।

9. इंडियन रबर मैन्युफैक्चर्स रिसर्च एसोसिएशन, बंबई।

IV. पेटेंट और डिजाइन आदि

10. अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादों और कच्ची सामग्री का मानकीकरण।

11. डिजाइन अधिनियम, 1911 (1911 का 2)।

12. व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 (1958 का 43)।

13. पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)।

V. सामग्री योजना :

14. सैक्टरों, उद्योगों और बड़े एककों द्वारा उत्पादों के विशिष्ट समूहों और उपलभ्य क्षमता के संबंध मे कच्ची सामग्रियों के लिए मागों का समन्वित निर्धारण।

15. आयात प्रतिस्थापन की संभाव्यता का सम्यक् ध्यान रखते हुए देशीय कच्चे माल की उपलब्धता का निर्धारण।

16. तालिकाओं के लिए सम्यक् गुंजाइश रखते हुए कच्ची सामग्री के आयात की आवश्यकताओं का निर्धारण।

17. कच्चे माल के आबंटन के लिए सिद्धांतों, पूर्विकताओं और प्रक्रियाओं का अवधारण।

18. सामग्री योजना से संबंद्ध कोई अन्य मामले।

VI. अन्य विषय

19. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित सभी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय व अन्य संगठन।",

(ii) "लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग" उप-शीर्षक और उससे सबंधित आई हुई प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

(झ) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग,

I. औद्योगिक नीति

1. साधारण औद्योगिक नीति।

2. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) का प्रशासन।

II. उद्योग और औद्योगिक तथा तकनीकी विकास

3. सभी उद्योगों की योजना विकास, नियंत्रण और सहायता जिसमें किसी अन्य विभाग के अंतर्गत आने वाले उद्योग नहीं आते।

4. सिविल विमानन विभाग और रक्षा उत्पादन तथा प्रदाय विभाग के परामर्श से बनाए जाने वाले सिविल वायुयान के उत्पादन के लिए उद्योगों की स्थापना के लिए अनुज्ञप्तियां जारी करना।

5. केबिल।

6. हल्के, इंजीनियरी उद्योग (उदाहरणार्थ सिलाई की मशीनें, टाइपराइटर, तोलन-मशीनें, बाईसिकिल, आदि)।

7. हल्के उद्योग (उदाहरणार्थ, प्लाईवुड, लेखन-सामग्री, दिया-सलाई, सिगरेट आदि)।

8. हल्के विद्युत इंजीनियरी उद्योग।

9. कच्ची फिल्में।

10. हार्ड बोर्ड।

11. कागज और अखबारी कागज।

12. टायर और ट्यूब।

13. नमक।

14. सीमेंट।

15. तकनीकी विकास इसके अंतर्गत औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन भी है।

16. साबुन और अपमार्जक।

17. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (वि नि सं. बो)।

18. औद्योगिक और सेवा परियोजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी और अनिवासी भारतीय निवेश।

III. अन्य विषय

19. ऐसी परियोजनाओं के सिवाए जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्टतः आबंटित हैं, इस सूची में सम्मिलित किए गए विषयों के अंतर्गत आने वाली पब्लिक सैक्टर परियोजनाएं।

20. सभी पब्लिक सैक्टर औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों पर प्रभाव डालने वाले वित्तीय प्रकृति की साधारण नीति के मामलों का समन्वय।

21. समस्त उद्योगों के लिए भारी इंजीनियरी उपस्कर का विनिर्माण।

22. भारी विद्युत्त इंजीनियरी उद्योग।

23. मशीनरी उद्योग जिसके अंतर्गत मशीनी औजार और इस्पात विनिर्माण आते हैं।

24. आटो उद्योग, जिसके अंतर्गत, ट्रैक्टर और मिट्टी हटाने वाले उपस्कर आते हैं।

25. सभी प्रकार के डीजल इंजन।"

(च) (i) "ग्रामीण विकास मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर "ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय" शीर्षक रखा जाएगा—

(ii) "ग्रामीण विकास मंत्रालय" शीर्षक के नीचे, उप-शीर्षक, "क. ग्रामीण विकास विभाग" की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1. पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामले।

2. भूमि सुधार, भूधृति, भू-अभिलेख, जोत भूमि की चकबंदी तथा उससे संबंधित अन्य मामले।

3. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) का प्रशासन और संघ के प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन संबंधी मामले।

4. किसी राज्य में उस राज्य से बाहर पैदा हुए कर विषयक दावों तथा अन्य सार्वजनिक अभियाचनाओं को, जिनके अंतर्गत भू-राजस्व बकाया और इस प्रकार वसूल की जाने वाली बकाया भी है, वसूली।

5. भूमि, अर्थात् भाटक का संग्रहण, भूमि का अंतरण और अन्य संक्रामण, भूमि सुधार और कृषि संबंधी उधार, जिनके अंतर्गत कृषि से भिन्न भूमि या भवन का अर्जन, नगर योजना सुधार नहीं है।

6. भू-राजस्व जिसके अंतर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रह, राजस्व प्रयोजनों के लिए परिमाप और राजस्व का अन्य संक्रामण भी है।

7. कृषि भूमि के उत्तराधिकार की बाबत शुल्क।

8. प्रारंभिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण विद्युतीकरण और पोषाहार कार्यक्रमों के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से संबंधित सभी मामलों का नोडीय उत्तरदायित्व।

9. ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित (जल-संसाधन मंत्रालय को सौंपे गए जल योजना और समन्वय के संपूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अधीन रहते हुए) मल व्ययन, जल निकास और स्वच्छता। इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता।

10. लोक सहकार, जिसके अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिए स्वयंसेवी अभिकरणों और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि से संबंधित सब विषय भी हैं।

11. ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डारण व्यवस्था जिसमें ग्रामीण गोदाम आते हैं।

12. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मंडियों की स्थापना और कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) ।

13. इस सूची की मदों से संबंधित सहकारी समितियां ।

14. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय तथा अन्य संगठन ।

15. ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के मामलों सहित ग्रामीण सड़कों से संबंधित सभी मामले ।

16. असम के उन जनजातीय क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषित सड़क संकर्म जो संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 से उपाबद्ध सारणी के भाग-I और II में विनिर्दिष्ट है।

17. दि सेंटर फार इंटेग्रेटिड रूरल डेवलपमेंट फार एशिया एंड पेसिफिक (सी. आई. आर. डी. ए. पी.) तथा दि एग्रो एशियन रूरल रिकंस्ट्रक्शन आर्गेनाइजेशन (ए. ए. आर. आर. ओ.) के सहकार से संबंधित सभी मामले ।

(iii) "परती भूमि विकास विभाग" उप-शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"ग. ग्रामीण रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग।

1. (क) ग्रामीण रोजगार या बेरोजगारी से संबंधित सभी विषय, जैसे ग्रामीण रोजगार की नीतियां और कार्यक्रम जिसके अंतर्गत विशेष संकर्म, मजदूरी या आय में वृद्धि भी है, तैयार करना और उससे संबंधित प्रशिक्षण ।

(ख) ग्रामीण रोजगार के विनिर्दिष्ट कार्यक्रम का कार्यान्वयन, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (रा. ग्रा. रो. का.) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (ग्रा भू. रो. गा. का.) और समय-समय पर बनाए गए अन्य कार्यक्रम ।

(ग) ग्रामीण रोजगार या बेरोजगारी से संबंधित माइक्रो स्तर आयोजन तथा उसके लिए प्रशासनिक ढांचा ।

2. सर्वांगीण ग्रामीण विकास जिसमें लघु कृषक विकास अभिकरण, सीमांत कृषक और कृषि मजदूर, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम सम्मिलित हैं ।

3. मरुस्थल विकास कार्यक्रम ।

4. ग्रामीण आवास जिसके अंतर्गत ग्रामीण आवास नीति भी है और देश में उससे संबद्ध और आनुषंगिक सभी मामले या ग्रामीण योजना जब तक कि उसका संबंध ग्रामीण क्षेत्रों से है । ",

(छ) (i) "शहरी विकास मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर "शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय" शीर्षक रखा जाएगा,

(ii) "शहरी विकास मंत्रालय" शीर्षक और उसके अधीन की प्रविष्टियों के नीचे निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"क. "शहरी विकास विभाग"

1. निम्नलिखित के सिवाय, संघ की सम्पत्ति, चाहे भूमि हो अथवा भवन :—

(i) वे जो रक्षा मंत्रालय, रेल विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के हों ।

(ii) ऐसे भवन अथवा भूमि, जिनके निर्माण अथवा अर्जन के लिए धनराशि सिविल निर्माण बजट से भिन्न किन्हीं अन्य साधनों से जुटाई गई हो, और

(iii) ऐसी भूमि अथवा भवन, जिसका नियंत्रण, उनके निर्माण अथवा अर्जन के समय अथवा बाद में, स्थायी रूप से दूसरे मंत्रालयों और विभागों को सौंप दिया गया हो ।

2. सब सरकारी सिविल संकर्म और भवन, जिनके अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के संकर्म और भवन तो हैं, किन्तु सड़कें और रेल , डाक-तार और परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग द्वारा निष्पादित संकर्म या उनके भवन नहीं हैं ।

3. उद्योग कृषि संकियायें ।

4. केन्द्रीय लोक निर्माण संगठन ।

5. इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी होस्टलों सहित सरकारी सम्पदाओं का प्रशासन । महानगरों में कार्यालयों का अवस्थान या वहां से उनका विसर्जन ।

6. विज्ञान भवन में जगह का आबंटन ।

7. स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 का 30) का प्रशासन ।

8. दिल्ली होटल (वास-सुविधा-नियंत्रण) अधिनियम, 1949 (1949 का 24) का प्रशासन ।

9. लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40)

10. चार पुनर्वास बाजारों का प्रशासन, अर्थात् सरोजनी नगर मार्किट, शंकर मार्किट, प्लेजर गार्डन मार्किट और कमला मार्किट ।

11. विस्थापित व्यक्तियों (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) के अधीन दिल्ली और नई दिल्ली में सरकारी निर्मित सम्पत्तियों की बाबत पट्टा या हस्तांतरण पत्र जारी करना और ऐसी सम्पत्तियों से लगी हुई भूमि और सुधारक क्षेत्र के भूमि की अतिरिक्त पट्टियों या सुधारक क्षेत्रों के पट्टा विलेखों का संपरिवर्तन करना और आबंटन।

12. भारत सरकार के लिए लेखन सामग्री और मुद्रण, जिसके अंतर्गत शासकीय प्रकाशन भी हैं।

13. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन मद 22 और मद 23 के अधीन रहते हुए सड़क पर आधारित प्रणाली और तकनीकी योजना सहित शहरी परिवहन प्रणाली की योजना और समन्वय तथा रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) के अधीन मद 1 और मद 2 के अधीन रहते हुए रेल पर आधारित प्रणाली की तकनीकी योजना।

14. नगर और ग्राम योजना, महानगरीय क्षेत्रों के विकास और योजना से संबंधित मामले, इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता।

15. दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास और व्ययन की स्कीम।

16. दिल्ली विकास प्राधिकरण।

17. दिल्ली का मास्टर प्लान, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों में मास्टर प्लान तथा गंदी बस्ती सफाई विषयक कार्य का समन्वय।

18. स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में स्मारकों का परिनिर्माण।

19. दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) का प्रशासन।

20. दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (1958 का 59)।

21. सरकारी बस्तियों का विकास।

22. स्थानीय शासन, अर्थात् नगर निगमों का (जिनके अंतर्गत दिल्ली नगर निगम नहीं आता है) नगर पालिकाओं का (जिनके अंतर्गत नई दिल्ली नगर पालिका समिति नहीं आती है), का अन्य स्थानीय स्वायत्त प्रशासनों का जिनके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाएं नहीं आती हैं गठन और उनकी शक्तियां।

23. दिल्ली नगर निगम का दिल्ली जल-प्रदाय और मल-व्ययन उपक्रम।

24. शहरी क्षेत्रों में संबंधित जल-प्रदाय (जल संसाधन मंत्रालय को सौंपे गए जल योजना और समन्वय के संपूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अधीन रहते हुए), मल व्ययन, नाली जल निकास और स्वच्छता तथा आबंटित जल संसाधनों से संयोजन। इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता।

25. स्थानीय स्वायत्त प्रशासन की केन्द्रीय परिषद।

26. दिल्ली में सरकारी भूमियों का आबंटन।

27. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी में संबंधित सभी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन।

28. ऐसी परियोजनाओं के सिवाय, जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्टतः आबंटित है, इस सूची में सम्मिलित किए विषयों के अंतर्गत आने वाली पब्लिक सैक्टर परियोजनाएं।

29. शहरी भूमि (सीमाबंदी और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33)।

30. दिल्ली नागरी कला आयोग, दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1)।

31. राजघाट समाधि समिति का प्रशासन।

32. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजना और विकास तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम 1985 (1985 का 2) के प्रशासन से संबंधित सभी बात।

33. भारतीय राष्ट्रीय कला न्यास और सांस्कृतिक विरासत (इन्टक) से संबंधित विषय।

(ख) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग

1. आवास नीति और कार्यक्रम का तैयार किया जाना (ग्रामीण आवास को छोड़कर, जो ग्रामीण विकास विभाग को सौंपा गया है) योजना स्कीमों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन, आवास, निर्माण सामग्री और निर्माण तकनीकी संबंधी आंकड़ों का संग्रहण और प्रसारण, निर्माण लागत कम करने के लिए साधारण उपाय और राष्ट्रीय आवास नीति का नोडल उत्तरदायित्व।

2. मानव बस्तियां जिसमें यूनाइटेड नेशन्स कमीशन फॉरहयुमन सेटलमेंट तथा आवासन और मानव-बस्ती के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता भी है।

3. नगर विकास जिसके अंतर्गत गंदी बस्ती सफाई स्कीमें तथा झुग्गी और झोपड़ी हटाने की स्कीमें भी हैं। इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता।

4. राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ।

5. शहरी रोजगार स्कीमों के विशिष्ट कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री की रोजगार योजना और समय-समय पर तैयार किए गए अन्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

शंकर दयाल शर्मा,
राष्ट्रपति

[फा. सं. 74/2/2/95-मंत्रि.]
बी. जी. टण्डन, अपर सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 1995

S.O. 142(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to aemnd the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and twenty-eighth Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(1) in the First Schedule,—

(a) under the heading "Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution (Nagarik Poorti aur Sarvajanik Vitaran Mantralaya)" the following sub-headings shall be inserted, namely :—

"(i) Department of Civil Supplies (Nagrik Poorti Vibhag)

(ii) Department of Consumer Affairs and Public Distribution System (Upbhokta Mamle aur Sarvajanik Vitaran Pranali Vibhag) ;

(b) under the heading "Ministry of Food (Khadya Mantralaya)", the following sub-headings shall be inserted, namely :—

"(i) Department of Food (Khadya Vibhag).

(ii) Department of Food Procurement and Distribution (Khadya Prapan aur Vitaran Vibhag).;

(c) under the heading "Ministry of Health and Family Welfare (Swasthya aur Parivar Kalyan Mantralaya)", after the sub-heading "(ii) Department of Family Welfare 'Parivar Kalyan Vibhag)", the following sub-heading shall be inserted, namely :—

"(iii) Department of Indian Systems of Medicine and Homoeopathy (Bhartiya Chikitsa Paddhati aur Homoeopathy Vibhag).";

(d) under the heading "Ministry of Industry (Udyog Mantralaya), the following sub-heading shall be inserted, namely :—

"(v) Department of Industrial Policy and Promotion (Audyogik Niti aur Samvardhan Vibhag)".;

(e) for the heading "Ministry of Rural Development (Gramin Vikas Mantralaya)" the following heading shall be substituted, namely :—

"Ministry of Rural Areas and Employment (Gramin Shetra aur Rozgar Mantralaya)";

(f) under the heading "Ministry of Rural Areas and Employment", as so substituted, after the sub-heading "(ii) Department of Wasteland Development", the following sub-heading shall be inserted, namely :—

"(iii) Department of Rural Employment and Poverty Alleviation (Gramin Rozgar aur Garibi Upshaman Vibhag)";

(g) for the heading "Ministry of Urban Development (Shahari Vikas Mantralaya), the following heading shall be substituted, namely :—

"Ministry of Urban Affairs and Employment (Shahari Karya aur Rozgar Mantralaya)":

(h) under the heading "Ministry of Urban Affairs and Employment (Shahari Karya aur Rozgar Mantralaya), as so substituted, the following sub-headings shall be inserted, namely :—

"(i) Department of Urban Development (Shahari Vikas Vibhag).

(ii) Department of Urban Employment and Poverty Alleviation (Shahari Rozgar aur Garibi Upshaman Vibhag).";

(2) in the Second Schedule,—

(a) under the heading "MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (NAGRIK POORTI, UPBHOKTA MAMLE AUR SARVAJANIK VITARAN MANTRALAYA)", for the entries 1 to 18, the following shall be substituted, namely :—

"A. DEPARTMENT OF CIVIL SUPPLIES (NAGRIK POORTI VIBHAG)

1. Internal Trade.

2. Inter State Trade : the Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce) Control Act, 1955 (39 of 1955).

3. Control of Futures trading : the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952).

4. The Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) (Supply, prices and distribution of esential commodities not dealt with specifically by any other Ministry/Department).

5. Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act 1980 (7 of 1980) persons subjected to detention thereunder.

6. Regulation of Packaged Commodities.

7. Training in Legal Mateorology.

8. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest, as far as these relate to Vanaspati, Oil seeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats.

9. Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1952 (12 of 1952).

10. Standards of Weights and Measures. The Standards of Weights and Measures Act. 1976 (60 of 1976).

11. The Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).

12. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list, including the Forward Markets Commission, Bombay.

B. DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM (UPBHOKTA MAMLE AUR SARVAJANIK VITARAN PRANALI VIBHAG)

1. Consumer Cooperatives.

2. Public Distribution System.

3. Monitoring of prices and availability of essential commodities.

4. The Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986).

5. Price control of and inter-state trade and commerce in and supply and distribution of Vanaspati, Oil seeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats.

6. Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats.";

(b) under the heading "MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)", under sub-heading "A. DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS (ARTHIK KARYA VIBHAG)", for entry 5, the following entry shall be substituted, namely :—

"5. Foreign and Non-Resident Indian Investment (excluding Direct Foreign and Non-Resident Indian Investment in Industrial and Service projects.)";

(c) under the heading "MINISTRY OF FOOD (KHADYA MANTRALAYA)", for entries 1 to 16 the following shall be substituted, namely :—

"A. DEPARTMENT OF FOOD (KHADYA VIBHAG)

I. The following subjects which fall within List I of the Seventh Schedule to the Constitution of India :—

1. Participation in international conferences, Associations and other bodies concerning food, e.g. International Wheat Council, International Sugar Council, World Food Council, International Food Policy Research Institute and implementation of decisions made thereat.

2. Entering into treaties and agreements with Foreign countries and implementing treaties, agreements, conventions with foreign countries relating to trade and commerce in foodgrains and other foodstuffs.

3. Hiring and acquisition of godowns for storage of foodgrains including sugar, taking on lease or acquiring land for construction of foodgrains godowns.

4. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest, as far as these relate to Sugar Industry (including development of Sugar and Khandsari).

II. For the Union Territories of the National Capital Territory of Delhi, the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep, the subjects detailed in part I as well as the Food Administration.

III. General and Consequential :

5. Matters relating to the following offices :—

(i) Subordinate Offices under the Department of Food.

(ii) Directorate of Sugar, New Delhi.

(iii) National Sugar Institute, Kanpur.

6. Matters relating to the following public sector organisation :—

Central Warehousing Corporation.

7. Matters relating to the Development Council for Sugar Industry, New Delhi.

8. Offences against laws with respect to any of the subjects allotted to this Department.

9. Enquiries and statistics for the purpose of any of the subjects allotted to this Department.

10. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Department except fees taken in a Court.

11. (a) Development and popularisation of subsidiary and protective foods.

(b) Nutrition extension.

B. DEPARTMENT OF FOOD PROCUREMENT AND DISTRIBUTION

I. The following subjects which fall within List I of the Seventh Schedule to the Constitution of India :—

1. Purchase of food stuffs for civil requirements and their disposal and also for military requirements of sugar, rice and wheat.

2. Inter-State trade and commerce in respect of foodgrains and other food-stuffs including sugar.

II. The following subjects which fall within List III of the Seventh Schedule to the Constitution of India (as regards legislation only) :

3. Trade and commerce in, and supply and distribution of foodgrains.

4. Trade and commerce in, and the production, supply and distribution of sugar and foodstuffs other than foodgrains.

5. Price control of foodgrains, foodstuffs and sugar.

III. General and consequential :

6. Matters relating to the following public sector organisation :—

Food Corporation of India.

(d) under the heading "MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SWASTHYA AUR PARIVAR KALYAN MANTRALAYA)",—

(i) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF HEALTH (SWASTHYA VIBHAG)", entries items (v) and (vi) of entry 1, 33, 39, 41, 43, 48, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 69, 74, 75 and 76 shall be omitted ;

(ii) after sub-heading "B. DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE (PARIVAR KALYAN VIBHAG)" and the entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be added, namely :—

"C. DEPARTMENT OF INDIAN SYSTEMS OF MEDICINE AND HOMOEOPATHY (BHARTIYA CHIKITSA PADDHATI AUR HOMOEOPATHY VIBHAG)

I. UNION BUSINESS

1. Union agencies and institutes for research or for the promotion of special studies in Indian Systems of Medicine and Homoeopathy, Yoga and Naturopathy including all matters relating to—

(i) Pharmacopoeial Laboratory for Indian Medicine ;

(ii) Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory ;

II. LIST OF BUSINESS WITH WHICH THE CENTRAL GOVERNMENT SHALL DEAL IN A LEGISLATIVE CAPACITY ONLY, FOR THE UNION AND IN BOTH LEGISLATIVE AND EXECUTIVE CAPACITIES FOR ALL UNION TERRITORIES.

2. Homoeopathy.

3. Indigenous systems of medicines.

III. MISCELLANEOUS BUSINESS

4. The Central Council of Indian Medicines.

5. The Central Council of Homoeopathy.

6. Ayurvedic, Siddha and Unani Drugs Technical Advisory Board.

7. National Institute of Ayurveda.

8. National Institute of Homoeopathy.

9. Central Council of Research in Ayurveda and Siddha.

10. Central Council of Research in Homoeopathy.

11. Central Council of Research in Unani Medicine.

12. Central Council of Research in Yoga and Naturopathy.

13. Post-Graduate Institute for Medical Education and Research.

14. Institute of Post-Graduate Teaching and Research, Gujarat Ayurveda University.

15. Post-Graduate Centre of Ayurveda, Banaras Hindu University.

16. Central Research Institute for Yoga.

17. National Institute of Unani.

18. Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Limited.

(e) under the heading "MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA)",—

(i) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (AUDYOGIK VIKAS VIBHAG)", for the entries, the following entries shall be substituted, namely :—

I. Industrial Policy.

1. Industrial Management.

2. Productivity in industry.

II. Industrial Cooperation

3. Co operation in the Industrial sector, excepting Co-operative Sugar Factories.

4. Administration of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923) and the regulations made thereunder. Central Boilers Board.

Explosives-Administration of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), and the rules made thereunder, but not the Explosive Substances Act, 1908 (6 of 1908).

6. Inflammable Substances Act, 1952 (20 of 1952).

III. Industries and Industrial and Technical Development.

7. Automotive Research Association, Poona.

8. National Council for Cement and Building Materials.

9. Indian Rubber Manufacturers' Research Association Bombay.

IV. Patents and Designs etc.

10. Standardisation of international products and raw materials.

11. Designs Act, 1911 (2 of 1911).

12. Trade and Merchandise Marks Act, 1958 (43 of 1958).

13. Patents Act, 1970 (39 of 1970).

V. Material Planning.

14. Coordinated assessment of demands for raw materials, by sectors, industries and large-units in relation to particular groups of products and to available capacities.

15 Assessment of domestic availability of raw materials with due regard to the feasibility of import substitution.

16. Assessment of requirements of imports of raw materials, with due allowance for inventories.

17. Determination of principles, priorities and procedures for allocation of raw materials.

18. Any other matters connected with materials Planning.

VI. Other Subjects.

19. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.";

(ii) after the sub-heading "D. DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES (LAGHU UDYOG AND KRISHI EVAM GRAMEEN UDYOG VIBHAG)" and the entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be added, namely :—

"E. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION (AUDYOGIK NITI AUR SAMVARDHAN VIBHAG).

I. Industrial Policy.

1. General Industrial Policy.

2. Administration of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

II. Industries and Industrial and Technical Development.

3. Planning, development and control of an assistance to, all industries other than those dealt with by any other Department.

4. Issue of licences for establishments of industries for production of civil aircraft to be made in consultation with the Department of Civil Aviation and Department of Defence Production and Supplies.

5. Cables.

6. Light Engineering Industries (e.g. Sewing machines typewriters, weighing machines, bycycles, etc.).

7. Light Industries (e.g. Plywood, stationery, matches, cigarettes, etc.).

8. Light Electrical Engineering Industries.

9. Raw films.

10. Hard Board.

11. Paper and newsprint.

12. Tyres and Tubes.

13. Salt.

14. Cement.

15. Technical Development including Bureau of Industrial Costs and Prices and United Nations Industrial Development Organisation.

16. Soaps and Detergents.

17. Foreign Investment Promotion Board (FIPB).

18. Direct foreign and non-resident Indian investment in industrial and service projects.

III. Other Subjects.

19. Public sector projects falling under the subjects included in this list except such projects as are specifically allotted to any other Department.

20. Coordination of matters of general policy of non-financial nature affecting all public sector industrial and commercial undertakings.

21. Manufacture of heavy engineering equipment for all industries.

22. Heavy electrical engineering industries.

23. Machinery Industries including Machine Tools and Steel Manufactures.

24. Auto Industries, including tractors and earth moving equipment.

25. All types of diesel engines."

(f) (i) for the heading "MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMIN VIKAS MANTRALAYA)", the heading "MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (GRAMIN SHETRA AUR ROZGAR MANTRALAYA)", shall be substituted ;

(ii) under the heading "MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMIN VIKAS MANTRALAYA)", the sub-heading, "A. DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMIN VIKAS VIBHAG)", for the entries, the following entries shall be substituted, namely :—

1. All matters relating to panchayati raj and panchayati raj institutions.

2. Land reforms, land tenures, land records, consolidation of holding and other related matters.

3. Administration of the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894) and matters relating to acquisition of land for purposes of the Union.

4. Recovery of claims in a State in respect of taxes and other public demands, including arrears of land revenue and sums recoverable as such arrears, arising outside that State.

5. Land, that is to say, collection of rents, transfer and alienation of land, land improvement and agricultural loans excluding acquisition of non-agricultural land or buildings, town planning improvements.

6. Land revenue, including the assessment and collection of revenue, survey of revenue purposes, alienation of revenues.

7. Duties in respect of succession to agricultural land.

8. Nodal responsibility for all matters relating to the Minimum Needs Programme in rural areas in the field of elementary education, adult education, rural health, rural electrification and the nutrition programmes.

9. Water supply (subject to overall national perspective of water planning and coordination assigned to the Ministry of Water Resources), sewage, drainage and sanitation relating to rural areas. International cooperation and technical assistance in this field.

10. Public cooperation, including all matters relating to voluntary agencies for rural development and National Fund for Rural Development.

11. Warehousing in rural areas, including rural godowns.

12. Setting up of agricultural markets in rural areas and the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937).

13. Cooperatives relatable to the items in this list.

14. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

15. All matters relating to rural roads including those under the Minimum Needs Programme in the rural areas.

16. Road works financed in whole or in part by the Central Government in tribal areas of Assam specified in Part I and Part II of the Table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution.

17. All matters relating to cooperation with the Centre for Integrated Rural Development for Asia and Pacific (CIRDAP) and the Afro-Asian Rural Reconstruction Organisation (AARRO)."

(iii) after sub-heading "B. DEPARTMENT OF WASTELAND DEVELOPMENT (BANJAR BHOOMI VIKAS VIBHAG)" and the entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be added, namely :—

"C. DEPARTMENT OF RURAL EMPLOYMENT AND POVERTY ALLEVIATION (GRAMIN ROZGAR AUR GARIBI UPSHAMAN VIBHAG).

1. (a) All matters pertaining to rural employment or unemployment such as working out of strategies and programmes for rural employment including special works, wage or income generation and training related thereto ;

(b) Implementation of the specific programmes of rural employment such as National Rural Employment Programmes (NREP), Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP) and other programmes evolved from time to time.

(c) Micro level planning related to rural employment or unemployment and administrative infrastructure therefor.

2. Integrated rural development, including small farmers development agency, marginal farmers and agricultural labourers, drought prone area programmes, etc.

3. Desert Development Programmes.

4. Rural housing including Rural Housing Policy and all matters germane and incidental thereto under country or rural planning, in so far as it relates to rural areas.";

(g) (i) for the heading "MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHAHARI VIKAS MANTRALAYA)", the heading "MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHAHARI KARYA AUR ROZGAR MANTRALAYA)" shall be substituted ;

(ii) under the heading, "MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHAHARI VIKAS MANTRALAYA), and the entries thereunder, the following shall be substituted, namely :—

"A. DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT (SHAHARI VIKAS VIBHAG)

1. Properties of the Union, whether lands or buildings, with the following exceptions :—

(i) Those belonging to the Ministry of Defence (Raksha Mantralaya) the Department of Railways (Rail Vibhag) and the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag) and the Department of Space (Antariksh Vibhag).

(ii) Buildings or lands, the construction or acquisition of which has been financed otherwise than from the Civil Works Budget ; and

(ii) Buildings or lands, the control of which has at the time of construction or acquisition or subsequently been permanently made over to other Ministries and Departments.

2. All Government Civil Works and Buildings including those of Union Territories excluding Roads and excluding works executed by or buildings belonging to the Railways, P&T and the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag), and the Department of Space (Antariksh Vibhag).

3. Horticulture operations.

4. Central Public Works Organisation.

5. Administration of Government estates including Government Hotels under the control of the Ministry. Location or dispersal of offices in or from the metropolitan cities.

6. Allotment of accommodation in Vigyan Bhawan.

7. Administration of the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 (30 of 1952).

8. Administration of Delhi Hotels (Control of Accommodation) Act, 1949 (24 of 1949).

9. The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971).

10. Administration of four Rehabilitation Markets, viz. Sarojini Nagar Market, Shankar Market, Pleasure Garden Market and Kamla Market.

11. Issue of lease or conveyance deeds in respect of Government built properties in Delhi and New Delhi under the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954) and conversion of lease deeds, allotment of additional strips of land and correctional areas adjoining such properties.

12. Stationery and Printing for the Government of India including official publications.

13. Planning and Coordination of urban transport systems, with technical planning and road based systems being subject to items 22 and 23 under the Ministry of Surface Transport (Jal-Bhootal Pariwahan Mantralaya) and technical planning of rail based systems being subjects to item 1 and 2 under the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), Railway Board (Rail Board).

14. Town and Country Planning; matters relating to the Planning and Development of Metropolitian Areas, International Cooperation and technical assistance in this field.

15. Schemes of large scale acquisition, development and disposal of land in Delhi.

16. Delhi Development Authority.'

17. Master Plan of Delhi, Coordination of work in respect of the Master Plan and Slum Clearance in the Union Territory of Delhi.

18. Erection of memorials in honour of freedom fighters.

19. Administration of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957).

20. The Delhi Rent Control Act, 1958 (59 of 1958).

21. Development of Government Colonies.

22. Local Government, that is to say, the constitution and powers of the Municipal Corporations (excluding the Municipal Corporation of Delhi), Municipalities (excluding the New Delhi Municipal Committee), other Local Self-Government Administrations excluding Panchayati Raj Institutions.

23. The Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking of the Municipal Corporation of Delhi.

24. Water supply (subject to overall national perspective of water planning and coordination assigned to the Ministry of Water Resources), sewage, drainage and sanitation relating to urban areas and linkages from allocated water resources. International cooperation and technical assistance in this field

25. The Central Council of Local Self-Government.

26. Allotment of Government land in Delhi.

27. All attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

28. Public Sector Projects falling under the subject included in this list, except such projects as are specifically allotted to any other Department.

29. The Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (33 of 1976).

30. Delhi Urban Art Commission, Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974).

31. Administration of Rajghat Samadhi Committee.

32. All matters relating to Planning and Development of the National Capital Region and administration of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985).

33. Matters relating to the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH).

B. DEPARTMENT OF URBAN EMPLOYMENT AND POVERTY ALLEVATION (SHAHARI ROZGAR AUR GARIBI UPSHAMAN VIBHAG).

1. Formulation of housing policy and programme (except rural housing which is assigned to the Department of Rural Development), review of the implementation of the Plan Schemes, collection and dissemination of data on housing, building materials and techniques, general measures for reduction of building costs and nodal responsibility for National Housing Policy.

2. Human Settlements including the United Nations Commission for Human Settlements and International Corporation and Technical Assistance in the field of Housing and Human Settlements.

3. Urban Development including Slum Clearance Schemes and the Jhuggi and Jhonpri Removal Schemes. International Cooperation and technical assistance in this field.

4. National Cooperative Housing Federation

5. Implementation of the specific programmes of Urban Employment Schemes such as Prime Minister's Rozgar Yojna and other programmes evolved from time to time.

SHANKER DAYAL SHARMA,
PRESIDENT.

[F. No. 74/2/2/95-Cab.]

B. B. TANDON, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mava Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995